उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या-02/2020/127/94-स्टा0नि0-2-2020-700(74)/2015

लखनऊः दिनांकः 13 फरवरी, 2020

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से सरकारी अधिसूचना संख्या-30/2015/1430/94-स्टा0नि0-2-2015-700(74)/2015 दिनांक 08-12-2015 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं:-

संशोधन

रजिस्ट्रीकरण फीस सारिणी के अनुच्छेद 1 के क्रमांक 1 में, नीचे स्तम्भ I में दिये गये खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ II में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ I (विद्यमान खण्ड)		स्तम्भ II **(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)**	
(क) जहां मूल्य या प्रतिफल अभिव्यक्त है।	दस्तावेज पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन हेतु आगणित ऐसे प्रतिफल या मूल्य के दो प्रतिशत जो भी अधिक हो परन्तु न्यूनतम रूपया 100 और अधिकतम रू० 20,000.00	(क) जहां मूल्य या प्रतिफल अभिव्यक्त है।	दस्तावेज पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन हेतु आगणित ऐसे प्रतिफल या मूल्य, जो भी अधिक हो, का, न्यूनतम 100.00 के अध्यधीन एक प्रतिशत

वीना कुमारी
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-02/2020/127/94/स्टा0नि0-2-2020-700(74)/2015,दिनांक 13 फरवरी,2020

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेंजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 13-02-2020 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की सौ प्रतियाँ स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव।

संख्या-02/2020/127/94/स्टा0नि0-2-2020-700(74)/2015,दिनांक 13 फरवरी,2020

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद/शिविर कार्यालय लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ समस्त संबंधितों को उक्त अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराते हुए तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, लखनऊ।
9. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु 12 सी, माल एवेन्यू, लखनऊ।
10. शासकीय हस्तान्तरक न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11. विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
12. गार्ड फाइल।

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Uttar Pradesh Shasan
Stamp Evam Registration Anubhag-2

The Governor is please to order the publication of following English translation of notification

no.02/ 2020/127/94-Stamp Nibandhan-2-2020-700(74)/15 dated 13 February, 2020

for general information.

Notification

No.02/2020/127/94- Stamp Nibandhan-2-2020-700(74)/15

Lucknow, Dated 13 February, 2020

In exercise of the powers conferred by section 78 of the Registration Act, 1908 (Act no. XVI of 1908), read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. X of 1897), the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no.30/2015/1430/94-Stamp Nibandhan-2-2015-700(74)/15 dated 08/12/2015 from the date of its publication in the Gazette.

Amendment

In the Table of Registration Fees in serial no. 1 of Article 1, for clause (a) set out in Column I below, the clause as set out in Column II shall be substituted, namely :-

Column I (Existing clause)		Column II (Clause as hereby substituted)	
a. Where the value or consideration is expressed.	Two percent of such consideration or value, calculated for the purpose of stamp duty chargeable on the document, whichever is higher, but minimum 100.00 and maximum 20000.00	a. Where the value or consideration is expressed.	One percent of such consideration or value, calculated for the purpose of stamp duty chargeable on the document, whichever is higher, subject to the minimum of 100.00

Veena Kumari
Pramukh Sachiv

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।